निर्देश संख्या 47

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. सी. बिल्डिंग) टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली

ए - 110018 / 01 / 2021 -सी. ए. क्यू.एम.-1854-1876 **दिनांक : 07. 12. 2021**

विषय: दिल्ली- एन. सी. आर. में वायु प्रदुषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्देश **।**

जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है (एतदपश्चात आयोग के रूप में संदर्भित) ।

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियां दी गयी है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करें, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे ।

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (v) अनुबंध करती है की वह क्षेत्र जहाँ कोई उद्योग संक्रियाओं या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग, संक्रियाओं या प्रक्रियाओं का क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो उन्हें नहीं चलाया जाएगा या निश्चित सुरक्षा उपायों के साथ चलाया जाएगा ।

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (xi) आयोग को शक्ति देती है कि वह लिखित में किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है ।

जबकि, आयोग विशेष ध्यान देता रहा है कि क्षेत्र में अन्य कारणों के साथ - साथ औद्योगिक प्रदूषण वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने में बड़ा योगदान देता है ।

जबकि, आयोग ने एन. सी. आर. में वायु प्रदुषण से सम्बंधित मामले को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एन. सी. टी. दिल्ली और केंद्र एवं सम्बंधित राज्य सरकारों/ जी. एन. सी. टी. डी. के साथ बारम्बार उठाया और विभिन्न निर्देश, आदेश जारी किए और एन. सी. आर. क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन उपायों को लागू करने' हेतु समय समय पर विशेष निर्णय लिए हैं ।

जबकि, दिनांक:12.08.2021 के निर्देश संख्या 29 -31 के तहत एन. सी आर. जिलों से काम कर रहे उद्योगों को पी. एन. जी. / स्वच्छ ईंधन में बदलाव के लिए विस्तृत नीति निर्देश जारी किए हैं जो कि अन्य बातों के साथ - 2 निम्नलिखित हैं :-

(i) उन उद्योगों का लेखा-परीक्षा और निरीक्षण करना, जो पहले से ही पीएनजी आपूर्ति से जुड़े हुए हैं और यह सुनिश्चित करना कि वे उद्योग कोयले आदि जैसे किसी अन्य प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

(ii) एनसीआर में अस्वीकृत ईंधनों के उपयोग को रोकने के लिए, संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखना और चूककर्ता इकाइयों के मामले में कड़ी कार्रवाई करना।

(iii) सभी चिन्हित उद्योग इकाइयों को पीएनजी में बदलने के लिए निश्चित समय रेखाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करके एक कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करना, जहां गैस की बुनियादी ढांचा और आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध है।

(iv) शेष औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी और बुनियादी ढांचे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। एनसीआर जिलों के निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत संस्थाओं के परामर्श से एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना विकसित करना ।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए में आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे औद्योगिक प्रदूषण, ताप विद्युत् संयंत्रों, वाहन प्रदुषण, धुल नियंत्रण आदि में आपातिक कार्रवाई हेतु दिनांक 16. 11. 2021 की निर्देश संख्या 44 जारी की जिसके बाद में दिनांक 02.12.2021 का निर्देश सं० 46 जारी किया गया

जबकि, दिनांक 16.11. 2021 के निर्देश सं० 44 के पैरा 1 (iii) के अनुसार, अन्य बातों के साथ - 2 यह निर्देश दिया गया था कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र/ क्लस्टर जहां पी. एन. जी. संरचना एवं आपूर्ति उपलब्ध है, उन्हें तत्काल प्रभाव से पी. एन. जी. / स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा और आयोग को परिवर्तन की तारीख उद्योग-वार प्रदान की जाएगी ।

जबकि, आदेश देने और कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई करनें के बावजूद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों की सम्बंधित एजेंसियों द्वारा परिवर्तन के लिए कार्य योजना तथा समय सीमा नहीं दी गई है ।

जबकि, विभिन्न सेक्टरों में सुधार के लिए उपाय करने के बावजूद क्षेत्र में वायु गुणवत्ता ' बहुत खराब" से "गंभीर" श्रेणी में अब भी है और इसलिए इसको रोकने के लिए आगे उपाय किये जाने की अति आवश्यकता है और वायु गुणवत्ता को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए अत्यधिक आपात स्थिति में और पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है ।

अब, इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और "एन. सी. आर." में वायु गुणवत्ता को आगे बिगड़ने से रोकने की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) सहपठित धारा 12 (2) (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग तत्काल प्रभाव से 12.12.2021 तक सख्त अनुपालन हेतु , निम्नलिखित आदेश देता है, जिसकी बाद में समीक्षा की जा सकती है :-

“सभी ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्तरों में स्थित ऐसे सभी उद्योग जहां पीएनजी अवसंरचना और आपूर्ति उपलब्ध है और अभी भी पीएनजी/स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाएगा और 12.12.2021 तक अपने ऑपरेशन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।– इन आदेशों की आगे समीक्षा की जा सकती है । “

इन निर्देशों और आयोग द्वारा समय – समय पर जारी किए गये निर्देशों का प्रवर्तन संबंधित एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और एनसीआर में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा कार्यान्वयन अनुपालन की निगरानी की जाएगी ।

हस्ता ०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष सं ० 011 - 23701197
ईमेल : arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

1. सदस्य सचिव, राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा

2. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार

3. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान

4. ए. सी. एस. / निजी सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार

5. ए. सी. एस. / निजी सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

6. ए. सी. एस. / निजी सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि : -

1. सदस्य सचिव, हरियाणा सरकार,

2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

3. सदस्य सचिव, राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि : -

अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग।

हस्ता o
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव